



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 29, गुरुवार, शाके 1947- नवम्बर 20, 2025  
Kartika 29, Thursday, Saka 1947- November 20, 2025

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 19, 2025

**संख्या एफ15(1)परा/विधि/निपगठन/2025/766** :-यह कि राज्य के राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.9(18)राज-1/2022-(12) दिनांक 05.08.2023 के द्वारा उदयपुर जिले का पुनर्गठन किया जाकर नवीन जिले सलुम्बर का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय सलुम्बर रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, सलुम्बर का गठन किया जाता है।

नवगठित जिला परिषद, सलुम्बर का क्षेत्राधिकार, राजस्व विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोड़कर, समस्त क्षेत्र रहेगा तथा जिला परिषद उदयपुर के वर्तमान क्षेत्राधिकार से वह क्षेत्र पृथक रहेगा जो क्षेत्र नवगठित जिला परिषद, सलुम्बर के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है।

जिला परिषद उदयपुर वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जब नवीन जिला परिषद सलुम्बर एवं पुनर्गठित जिला परिषद उदयपुर का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ जोगा राम,

शासन सचिव।